भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4202
दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु योजना

4202. श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश के देवास क्षेत्र में आर्थिक और शैक्षिक रूप से कमजोर महिलाओं और बच्चों के लिए कोई योजना बनाई जा रही है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त के कार्यान्वयन हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) एवं (ख) : भारत सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों सहित आर्थिक और शैक्षिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें क्रियान्वित कर रही है । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा स्कीम), दीन दयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम (डीएवाई-एनआरएलएम), प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) आदि स्कीमें मध्य प्रदेश सहित देश में समाज के सीमांत वर्गों के लिए विशेष रूप से आर्थिक उत्थान हेतु क्रियान्वित की जा रही हैं ।

इसके अतिरिक्त, देश में कई स्कीमें जैसे समेकित स्कूल शिक्षा स्कीम – समग्र शिक्षा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए डा. अम्बेड़कर केन्द्रीय प्रायोजित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम, अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए विदेशी अध्ययन के लिए डा.अम्बेड़कर केन्द्रीय सेक्टर की शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना, ओबीसी/ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता संबंधी स्कीम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि क्रियान्वित की जा रही हैं ।

भारत सरकार द्वारा इन स्कीमों के निष्पादन की निगरानी, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्टों/विवरणियों, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरों और मॉनिटरिंग की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जाती है ।

*****